

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

अंगराम सिंह

बनाम

सुखन्द सिंह आदि

किस्य मुकद्दमा

व/अ राम


मु. नं.

15

वर्ष

18

दिनांक	आज्ञा-पत्र
03 ⁰⁶ / ₂₅	पत्रावली पेश हुई। वकील उममपक्ष उपर। पत्रावली वास्ते जवाब। तलबी डि० 19 ⁰⁶ / ₂₅ का पेश हो।
19 ⁰⁶ / ₂₅	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभावक संघ का कार्य स्थगित है। अतः पत्रावली का आदेशानुसार दिनांक 19 ⁰⁶ / ₂₅ को पेश हो।
09 ⁰⁷ / ₂₅	पत्रावली पेश हुई। वकील उममपक्ष उपर। पत्रावली वास्ते जवाब। तलबी डि० 06 ⁰⁸ / ₂₅ का पेश हो।
06 ⁰⁸ / ₂₅	पत्रावली पेश हुई। वकील उममपक्ष उपर। पत्रावली वास्ते जवाब। तलबी डि० 29 ⁰⁸ / ₂₅ का पेश हो।
29 ⁰⁸ / ₂₅	पत्रावली पेश हुई। वकील उममपक्ष उपर। पत्रावली वास्ते जवाब। तलबी डि० 24 ⁰⁹ / ₂₅ का पेश हो।
24 ⁰⁹ / ₂₅	पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी व जर्जी स्वयं अनु। वकील जर्जी व जर्जी स्वयं को वाड-2 धारा 178 बार्ड गई। इन्हें डे वाकमूद न्यायालय लक्ष्मण में माघंकाळ तक जी वकील जर्जी व जर्जी स्वयं में कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली इसी डेट पर अदालत पैरवी (धरम शमिठी) में खारिज किया जाने के आदेश दिम जाते हैं। पत्रावली केवल शुभ्राड डोकड बाद तलबील दाखिल करत हो।



उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर